

Letter No. 5156  
Date 20.1.2014

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/97

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक 16/1/2014

—: आदेश :-

श्री नरपतमल लोढा, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 1/2014 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय बंगला नं० 9, अस्पताल रोड, जयपुर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता हैः—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत एवं विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) के आदेश संख्या प.9(1)राज/वाद/88/पार्ट—ग दिनांक 31.12.2013 एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. पद त्याग करने अथवा पद से हटने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

राज्यपाल महोदया की अनुज्ञा से  
15/1/2014 (राज्यपाल)  
(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके आदेश संख्या प. 9(1) राज/वाद/88/पार्ट—ग दिनांक 31.12.2013 के क्रम में।
4. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
7. श्री नरपतमल लोढा, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर जयपुर।
9. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या एफ 14000281 दिनांक 13.1.2014 के क्रम में।
10. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर के आईडी संख्या 191/सीएस-१/2014 दिनांक 15.1.2014 के क्रम में।
12. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
16. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविं/जन स्वास्थ्यविभाग/जयपुर विविभाग लिंग, हीराबाग जयपुर।
17. श्री अशोक बैरवा, पूर्व राज्य मंत्री, राजकीय आवास संख्या 9, अस्पताल रोड, जयपुर।
18. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
20. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (समस्त अनुभाग 1, 3, 5, 6) विभाग।
21. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव